पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 156/2020

1. बलवानसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र मोमन जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।
2. सुमन कुमारी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएल के खाता सं0 198/201 के मु0न0 11 के किला न0 1, 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 13 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 71 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 7.5900है0 नहरी 4.398है0 बारानी 3.036है0 खाला 0.130है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 रामेश्वर की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी बलवानसिंह प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 156/2020

1. बलवानसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र मोमन जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।
2. सुमन कुमारी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 25.06.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 10 जेएसएल के खाता सं0 198/201 के मु0न0 11 के किला न0 1, 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 13 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 71 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 7.5900है0 नहरी 4.398है0 बारानी 3.036है0 खाला 0.130है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मोमन की खातेदारी हुआ करती थी। मोमन के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन [illegible] प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की [illegible] पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा [illegible] प्रतिवादी सं0 03 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया । प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा [illegible] किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बलवान सिंह पुत्र रामेश्वर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही 10 जेएसएल खाता सं0 198/201 प्रदर्श 1 जमाबंदी 10 जेएसएल खतौनी प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही 10 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही 10 जेएसएल खाता सं0 198/201 प्रदर्श 1 जमाबंदी 10 जेएसएल खतौनी प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 पदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार रामेश्वर के एक पुत्र बलवानसिंह व एक पुत्री सुमन कुमारी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूकिं प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएल के खाता सं0 198/201 के मु0न0 11 के किला न0 1, 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 12 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 13 के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 71 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 7.5900है0 नहरी 4.398है0 बारानी 3.036है0 खाला 0.130है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी स 1 रामेश्वर की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी बलवानसिंह प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner